झारखंड उच्च न्यायालय, रांची सिविल रिट याचिका संख्या 6303/2016

दीपक कुमार दास, पिता- स्वर्गीय धुव प्रसाद दास, निवासी गांव- नयाटोला पुरानी साहेबगंज, डाक घर साहेबगंज, थाना- साहेबगंज, जिला- साहेबगंज- (झारखंड)

..... याचिकाकर्ता

बनाम

- 1. झारखंड राज्य, अपने उप सचिव, भूमि और राजस्व विभाग, परियोजना भवन, डाक घर और थाना-धुर्वा, (हटिया), जिला रांची (झारखंड) के माध्यम से
- 2. उपायुक्त, साहेबगंज, डाक घर और थाना और जिला साहेबगंज (झारखंड)
- 3. सर्किल ऑफिसर, साहेबगंज, डाक घर, थाना और जिला- साहेबगंज (झारखंड)
- 4. जिला रिकॉर्ड रूम (अभिलेखगर) अधिकारी, साहेबगंज, डाक घर, थाना और जिला- साहेबगंज (झारखंड)
- 5. प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेख कक्ष (अभिलेखगर) साहेबगंज, डाक घर, थाना एवं जिला- साहेबगंज (झारखंड) उत्तरदाताओं

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

- 2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह रिट याचिका एक उपयुक्त रिट/रिट, आदेश/आदेशों, निर्देश/निर्देशों जारी करने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश / निर्देशों जारी करने के लिए दायर की गई है ताकि खिटयान की प्रमाणित प्रति यानी रिजस्टर | उपलब्ध कराई जा सके। जमाबंदी संख्या 29, (केए) 29 (केएच) और 29 (जी), जिसके लिए याचिकाकर्ता ने 16.07.2016 को अपने वकील के माध्यम से व्यवहार न्यायालय, साहिबगंज में आवेदन किया है।
- 3. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी उक्त खितयान की प्रमाणित प्रति यानी रिजिस्टर I, याचिकाकर्ता को आठ सप्ताह के बाद किसी भी दिन, प्रतिवादी नंबर 4 के कार्यालय में जाने वाले याचिकाकर्ता पर आपूर्ति करेंगे।
- 4. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों के मद्देनजर, इस रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी नंबर 4 को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि उक्त खितयान यानी उक्त भूमि का रिजस्टर । याचिकाकर्ता को सौंप दिया जाए, इस आदेश की तारीख से दस सप्ताह के भीतर, याचिकाकर्ता के अपने कार्यालय जाने पर, आठ सप्ताह के बाद किसी भी दिन।
- 5. इस रिट याचिका का निपटारा तदनुसार किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया०.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची दिनांक 21 मार्च, 2024 स्मिता / ए. एफ. आर

यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।